(15)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

निगरानी कं0–......../16

संस्थापन दिनांक ..../16

R 311-II/16

जानकी गुप्ता तनय रामसजीवन गुप्ता उम्र 50 वर्ष पेशा–व्यापार, निवासी–कोठी तहसील–रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0........

....निगराकार

बनाम

1– रामकेश गुप्ता तनय श्री रामप्रेम गुप्ता उम्र 60 वर्ष पेशा–व्यापारी सा० कोठी, तह. रघुराजनगर, जि. सतना

2– राजाभैया गुप्ता तनय श्री रामस्वरूप गुप्ता उम्र 40 पेशा व्यापार निवासी ग्राम रायपुर (कोठी) तहसील रघुराजनगर जिला सतना ....गैरनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959

निगरानी विरूद्ध आलोच्य आदेश दिनांक 14–06–16 रा0प्र0कं0– 13अ70/15–16 पारित द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 से परिवेदित होकर

मान्यवर,

अन्य के अलावा निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:–

1– यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगराकारगणों ने आवेदकगण की हैशियत से इस आशय का आवेदन कानूनमाल की धारा 32 के तहत प्रस्तुत किया था कि उनके द्वारा खसरा नं0–378/1/2/ब/1/2/1 रकवा 0.205हे0 विकेता

क्रमशः........2

(15)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5311-II/16 जिला सतना

जानकी गुप्ता विरूद्ध रामकेश गुप्ता

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ नायब तहसीलदार तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 13/अ-70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 14-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-2019 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	